

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एक 1(2)/75)स्था/साम्याअवि/17/ 78453

जयपुर, दिनांक 16/6/17

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक 776 दिनांक 13.06.2017 एवं आदेश क्रमांक 817 दिनांक 16.06.2017 दिनांक के द्वारा निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल किये जाने के फलस्वरूप इनका निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्यालय एवं पद	मुस्थापक	नवीन पदस्थापित स्थान	श्रेणी
1.	डी.पी.टी. अजिता गुजाल, जिला प्रतिनिधि एवं सामाजिक न्याय अधिकारी	निदेशालय	सहायक निदेशक, राज्य महिला, जयपुर	
2.	डी.पी.टी. सारली सैमा, जेपर टैकर	निदेशालय	राजकीय सम्बन्ध एवं किराने, नए जयपुर	
3.	डी. अजय वर्मा, जिला-1	टीका	निदेशालय (सामान्य प्रशासन)	
4.	डी. राजेश लक्ष्मी, जयपुरास अधिकारी	जयपुर प्रांतीय	राजकीय अम्बेडकर जयपुरास, जयपुर	
5.	डी. रघु जय सैमा, जयपुरास अधिकारी	निदेशालय	राजकीय अम्बेडकर जयपुरास, नई सार्वजनिक, जयपुर	
6.	डी. विवेक लक्ष्मी, जयपुरास अधिकारी	इंदौर	राजकीय अम्बेडकर जयपुरास, सार्वजनिक, प्रशासन	
7.	डी. गणेश, जयपुरास अधिकारी	जयपुर प्रांतीय	राजकीय अम्बेडकर जयपुरास, नई अजय	
8.	डी. मोहन जय वर्मा, जेपर टैकर	निदेशालय	राजकीय सम्बन्ध एवं किराने, बीटा	
9.	डी. वेदप्रकाश, जिला-1	उप निदेशक जयपुर प्रांतीय	अधीनस्थ उप निदेशक, जयपुर सहर	
10.	डी.पी.टी. अका अरोरानी, जिला-1	नर्सि विंगल जयपुर	जिला कारागार, राजसमन्द	
11.	डी. सुन्दर सिंह, जयपुरास अधिकारी	जयपुर	जिला कारागार जयपुर	

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

(डी.समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एक 1 (5)(98)स्था/साम्याअवि/16/78454-512 जयपुर, दिनांक 16/6/17
 प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।

6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. एसीपी, मु. को ई-मेल हेतु।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय _____।
9. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / राज्य महिला सदन / जिला परिदेष्टा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, _____।
10. सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग _____।
11. अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह / बालिका गृह / किशु गृह / नदी निकेतन / अपचारी बालिका गृह _____।
12. प्रभारी पी-1, पी-2, पी-3, पी-4, पी-5, एसीआर, एवं डीपीसी, मुख्यालय।
13. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी _____।
14. आदेश पत्रायली।

↓
(डी.समित शर्मा)
निदेशक